भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1333

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

निष्क्रिय जन धन खाते

1333. श्रीमती महुआ मोइत्रा:
श्रीमती जून मालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बंद किए गए निष्क्रिय खातों की वर्षवार/राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन खातों के निष्क्रिय होने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद किए गए निष्क्रिय खातों में से महिलाओं के खातों की संख्या, वर्षवार/राज्यवार कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बंद किए गए निष्क्रिय खातों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ड.) एक, दो और तीन वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों की संख्या विशिष्ट राशि सहित कितनी है;

(च) 500 रुपए से कम राशि वाले जन धन खातों की संख्या कितनी है; और

(छ) क्या सरकार का इरादा इन निष्क्रिय खातों से राशि वसूलने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (छ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, वैसे बचत खाते और चालू खाते, जिसमें दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं होता है, को गैर-परिचालनरत/निष्क्रिय माना जाना चाहिए। ऐसे खातों में शेष राशियां, जो दस वर्ष तक अदावी रहती हैं, साथ ही मियादी तारीख से दस वर्ष के भीतर दावा न की गई सावधि जमाराशियां और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य पात्र जमा शेष राशियां, अदावाकृत जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत हैं और बैंकों द्वारा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित डीईए निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित होता है।

मास्टर निर्देश - केवाईसी निर्देश, 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करके, किसी भी निष्क्रिय खाते को दस साल की अवधि से पहले या बाद में किसी भी समय पुनः सक्रिय किया जा सकता है। किसी ग्राहक/जमाकर्ता द्वारा बाद में दावा किए जाने की स्थिति में, जिसकी दावा न की गई राशि/जमा राशि डीईए निधि में अंतरित कर दी गई है, संबंधित बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज-युक्त जमा राशि के मामले में लागू ब्याज सहित राशि वापस कर देता है, और भुगतान की गई समतुल्य राशि के लिए निधि से वापसी का दावा दायर करता है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत महिलाओं, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बंद किए गए खातों की तुलना में निष्क्रिय खातों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश में कुल 57.07 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से लगभग 15.09 करोड़ निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 500 रुपये से कम वाले पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या का केंद्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

*****